International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 11 Issue 5, Sept.-Oct, 2023, Impact Factor: 7.326

शिक्षा एवं जेंडर विभेदीकरण

सुमन कुमार झा[1], डॉ0 नजमा बेबी[2]

[1]शोधार्थी, शिक्षाशास्त्र विभाग, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
[2]असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉ0 जाकिर हुसैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा

सारांश

जेंडर विभेदीकरण से छात्राओं के व्यक्तित्व नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घर, परिवार, समाज, विद्यालय आदि सर्वत्र किसी न किसी रूप में छात्राओं के साथ पक्षपात होता है। माता–पिता भी अपनी बेटियों के साथ जेंडर विभेदीकरण जैसे व्यवहार अपनाते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव बेटियों पर पड़ता है। बेटी विद्यालय जाना चाहती है, वह आगे पढ़ना चाहती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में किसी न किसी कारण से उसे स्कूल जाने से रोक दिया जाता है। उसे आगे बढ़ने (उच्च शिक्षा पाने) की इजाजत नहीं मिलती है। वहीं बेटों को पढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे विद्यालय में नामांकन करवाते हैं और पढ़ाते हैं। बेटों के पढ़ाने के लिए उसकी आर्थिक क्षमता सक्षम हो जाती है परन्तु बेटियों को पढ़ाने में असमर्थता जाहिर करते हैं। भारतीय समाज में खासकर ग्रामीण समाज में छात्राएँ चाहे वह किसी भी वर्ग व जाति से आती हैं और वह पढ़ना भी चाहती हैं परन्तु सामाजिक व आर्थिक कारणों से उसकी पढ़ाई अवरूद्ध हो जाती है कारण वही जेंडर विभेदीकरण का है। प्रायः ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक व माता–पिता अपनी बेटियों को दूर में स्थित विद्यालय होने के कारण, सह शिक्षा व्यवस्था होने के कारण, चलते–फिरते मनचले लड़कों के कारण व गरीबी के कारण विद्यालय भेजना नहीं चाहते। इसका खामियाजा लड़कियों को उठाना पड़ता है।

शब्द कुंजी : जेंडर विभेदीकरण, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, विद्यालय आदि।

प्रस्तावना

जेंडर विभेदीकरण से छात्राओं बुड़ी तरह प्रभावित होती हैं। चूँकि माध्यमिक विद्यालय की छात्राएँ किशोरवय की होती हैं। किशोरवय की छात्राओं को समाज में अर्थात् घर, परिवार, विद्यालय सभी जगह सोच समझ कर चलना पड़ता है। क्योंकि पुरूष प्रधान समाज में, खास कर वर्तमान समाज में पुरूषों का दृष्टिकोण व नजरिया बदल चुका है। पराई स्त्री/लड़की/छात्रा पर कुदृष्टि रहती है। यही कारण है कि छात्राओं की संख्या माध्यमिक विद्यालयों व इंटरमीडिएट संस्थानों तक ही सीमित रह जाती है अर्थात् उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्राओं की संख्या बिल्कुल घट जाती है।[1]

विद्यालय में भी छात्राओं को जेंडर विभेदीकरण का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में कई शिक्षक गुरु की मर्यादा को भूल चुके हैं। वे छात्राओं से भेदभाव करते नजर आते हैं। वे छात्र–छात्राओं पर सम दृष्टि बनाये नहीं रख पाते, या तो वे छात्राओं पर ही विशेष नजर रखते हैं या छात्रों पर ही। कुछ शिक्षक छात्रों को ही अधिक प्रश्रय देते हैं। उन्हीं से अधिक प्रश्न पूछते हैं, छात्रों को ही आगे बैठाते हैं अर्थात् कक्षा में किसी न किसी प्रकार से छात्र–छात्राओं के साथ विभेद की नीति अपनाते हैं। कुछ शिक्षक छात्राओं पर ही विशेष कृ पा दर्शाने लगते हैं। वही विशेष कृपा आगे चलकर छात्राओं के लिए अहितकर हो जाता है। छात्रों के नजर में इस प्रकार का आचरण स्पष्ट भेद–भाव को दर्शाता है।

संभवतः अध्यापकों की तैयारी अर्थात् शिक्षक प्रशिक्षण में जेंडर विमर्श पर छात्र–अध्यापक (शिक्षकों) का ध्यान जेंडर समानता पर नहीं दिया जाता है। वैसे भी शिक्षकों को भारतीय संविधान, शिक्षा आयोगों, शिक्षा समितियों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के दिशा–निर्देश के अनुसार चलना चाहिए और कक्षा–कक्ष में किसी

भी तरह का भेदभाव जैसा व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए। परन्तु शिक्षक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव करते हैं। ऐसे ही शिक्षक गुरु के मर्यादाओं, आदर्शों, व्यवहारों पर कुठाराघात करते हैं बल्कि पाठ्य–सहगामी क्रियाओं में भी छात्राओं के साथ पक्षपात करते हैं। यदि छात्राएँ पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहती भी हैं तो उन्हें यह कहा जाता है कि तुमसे यह कार्य नहीं हो पायेगा। तुमसे संभव नहीं होगा। शिक्षकों के इस प्रकार के व्यवहार से छात्राएँ कुंठित हो जाती हैं।[2]

माता–पिता भी अपनी बेटियों के साथ जेंडर विभेदीकरण जैसे व्यवहार अपनाते हैं। जिसका नकारात्मक प्रभाव बेटियों पर पड़ता है। बेटी विद्यालय जाना चाहती है, वह आगे पढ़ना चाहती है लेकिन किसी न किसी कारण से उसे स्कूल जाने से रोक दिया जाता है। उसे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं मिलती है वहीं बेटों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाता है। यदि बेटा नहीं पढ़ना चाहता है तो उसे थोप–थोप कर पढ़ाया जाता है। यदि घर में कोई आवश्यक काम पड़ गया तो बेटी स्कूल नहीं जायेगी, उसे घर के काम में हाथ बँटाना है। यदि कोई अतिथि व मेहमान आ जाये तो, बेटी का स्कूल जाना बंद, लेकिन बेटों को हर हाल में स्कूल भेजा जाता है। यहाँ तक कि बेटों के लिए अच्छे–अच्छे कोंचिंग व ट्यूटर की व्यवस्था करते हैं लेकिन बेटियों को यह सुविधा नहीं दी जाती। बेटों को शिक्षण सामग्री पर्याप्त मात्रा में मुहैया करायी जाती है वहीं बेटियों के लिए काम चलाऊ शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है। इस तरह के भेदभाव का सामना बेटियों व छात्राओं को करना पड़ता है।[3]

ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएँ चाहे वह किसी भी वर्ग व जाति से आती हैं और वह पढ़ना भी चाहती हैं परन्तु सामाजिक व आर्थिक कारणों से उसकी पढ़ाई अवरूद्ध हो जाती है कारण वही जेंडर विभेदीकरण का है। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक व माता–पिता अपनी बेटियों को दूर में स्थित विद्यालय होने के कारण, सह–शिक्षा व्यवस्था होने के कारण चलते–फिरते मनचलों के कारण, गरीबी के कारण विद्यालय भेजना नहीं चाहते। वहीं अपने बेटों को विद्यालय अवश्य भेजते हैं। आज कल मनचले लड़के, सिरफिरे व उद्दण्ड लड़कों की समाज में कमी नहीं है। स्कूल जाते–आते वक्त, कोचिंग जाते–आते वक्त या कहीं घूमने के दौरान उन मनचलों व सिरफिरे लड़कों की छींटाकसी व फब्तियाँ छात्राओं को सुननी पड़ती है। समाज में ऐसे लड़कों व उचक्कों को कोई डांट–फटकार नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति में छात्राओं का विद्यालय जाना दुस्सवार हो जाता है। उसकी पढ़ाई रूक जाती है। यह सब हमारे समाज की कुसंस्कृति का ही परिणाम है। इसके मूल में जेंडर विभेदीकरण व पुरूष सत्ता का ही प्रभाव है।[4]

घर–परिवार में जिस तरह बेटों को स्वतंत्रता व स्वच्छंदता मिली रहती है उस तरह की स्वतंत्रता व स्वच्छंदता बेटियों को नहीं मिलती है। बेटियों को कड़े अनुशासन में रहना पड़ता है। बेटियाँ अपने मन से सहेलियों के यहाँ व बाजार घूमने के लिए नहीं जा सकती है उसे माँ व पिता से इजाजत लेनी पड़ती है। यदि इजाजत मिल भी जाती है और यदि विलम्ब से घर पहुँचती है तो कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इतनी देर कैसे हुई, क्यों हुई ? आदि। परन्तु बेटा अपने मन की मर्जी से यत्र–तत्र घूम सकता है, विलम्ब से घर आ सकता है, उससे कोई प्रश्न नहीं करता कि विलम्ब से क्यों आया? इस तरह का पक्षपात पूर्ण रवैया जेंडर–विभेदीकरण का प्रभाव ही समझा जायेगा।

प्रायः अभिभावक की सोच रहती है कि बेटों को अधिक पढ़ायेंगे, ऊँची शिक्षा देंगे और विवाह में अधिक से अधिक दहेज व तिलक लेंगे। वहीं बेटियों को अधिक व ऊँची शिक्षा देना नहीं चाहते, क्योंकि उसके लायक दुल्हा ढूँढ़ना पड़ेगा, अधिक तिलक देना पड़ेगा अर्थात् कई समस्याओं को झेलना पड़ेगा। इसका प्रभाव लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है। उसे काम चलाऊ शिक्षा देकर अर्थात् साक्षर बनाकर अपने कर्त्तव्य को पूरा कर लेते हैं। हाल के वर्षों में जेंडर विभेदीकरण में थोड़ी शिथिलता आई है। पुरूषों के सोच में परिवर्तन आया है। बिहार में वर्तमान सरकार छात्राओं/स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। इस हेतु कई तरह के योजनाओं का संचालन किया जा रहा है यथा– साईकिल योजना, पोशाक, छात्रवृत्ति आदि कार्यक्रमों से माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं एवं अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई है। सरकारी सुविधाओं के मिलने के कारण माध्यमिक स्तर की छात्राओं की संख्या में इजाफा हुआ है। ग्रामीण इलाके की लड़कियाँ भी अब विद्यालय जाने लगी हैं। विभिन्न परीक्षाओं में लड़कियों का परीक्षाफल लड़कों से बेहतर होने लगा है। इस प्रकार जेंडर विभेदीकरण में कमी दिखाई पड़ रही है।

निष्कर्ष

जेंडर विभेदीकरण से लड़कियों में मानसिक कुप्रभाव पड़ने लगता है। हर जगह भेदभाव को सहन कर लड़कियाँ मानसिक रूप से कुंठित हो जाती हैं। उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका कुप्रभाव पड़ता है और वह खुद स्वीकार करने लगती हैं कि पुरूष व लड़का उनसे श्रेष्ठ है। स्वयं स्त्री होकर भी माताएँ अपने बेटे–बेटी के बीच भेदभाव करने लगती है। इस प्रकार की कुप्रथाये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगती है। कभी–कभी तो स्त्रियों व लड़कियों को स्त्रियाँ होने पर घूटन महसूस होती है। वह कभी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बना पाती है। बचपन, यौवन एवं बुढ़ापा में क्रमशः पिता, पति एवं पुत्र के संरक्षण में समय व्यतीत करना पड़ता है। शिक्षा के बढ़ते हुए दायरे के बावजूद समाज में लड़कियों की परवरिश का एक मानदण्ड बना रखा है जैसे स्त्रियाँ अति कोमल, अति समर्पित, अति विनम्र अत्यधिक शांत, अत्यधिक धैर्यवान, निश्चेष्ट, आदि–आज्ञाकारी हो। त्याग बलिदान की प्रतिमूर्ति हो। बचपन से लड़कियों के मन व मस्तिष्क में यह बैठाया जाता है कि जिस घर में वह पैदा हुई है, पली–बढ़ी है वे उस घर की अस्थाई सदस्य हैं, पति का घर ही उनका स्थाई घर है। उनकी भूमिका चहारदीवारी के भीतर ही हो तो सही है। इस प्रकार के सोच में उनमें हीन भावना आ जाती है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान समय में लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई पड़ने लगे हैं। अब हर कक्षा में लड़की व महिलाओं की उपस्थिति अच्छी देखी जा रही है। हाँ ग्रामीण व निम्न वर्गों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। अतः इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

संदर्भः

1. चौहान, रीता एवं कक्कड़, प्रभा (2008) : सशक्तिकरण के प्रयास और प्रभाव : एक अध्ययन पृ.–146
2. खेतान, प्रभा (2010) : स्त्री उपेक्षिता, हिन्द पाकेट बुक्स, दिलसाद गार्डेन दिल्ली, पृ.–72–73
3. दत्ता, संजय एवं विजय वर्गीय, दीपिका (2017) : जेंडर, विद्यालय एवं समाज, श्री कविता प्रकाशन, जयपुर, पृ.–146
4. पाराशर, युगल बिहारी एवं शर्मा, सत्यप्रकाश (2016) : जेंडर विद्यालय एवं समाज, राजलक्ष्मी प्रकाशन, जयपुर, पृ.–73